भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं. 322/तेलंगाना-विधान परिषद/2015- दिनांक : 19 दिसम्बर, 2015
द्विवार्षिक निर्वाचन (एल ए सी)

सेवा में,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी

1. कर्नाटक, बंगलुरु
2. महाराष्ट्र, मुम्बई
3. तेलंगाना, हैदराबाद

विषयः- कर्नाटक, महाराष्ट्र एवं तेलंगाना की विधान परिषदों के लिए द्विवार्षिक निर्वाचन - कदाचार को रोकने के उपाय, मतदान में जाली मतपत्रों का प्रयोग तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन सुनिश्चित करना-तत्संबंधी।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आयोग ने राजनीतिक दलों तथा अन्यों से अभ्यावेदन प्राप्त किए हैं जिनमें विधान परिषदों के प्रक्रियागत द्विवार्षिक निर्वाचनों में मतदान के दौरान कुछ कदाचारों का सहारा लेकर मतदान प्रक्रिया को दूषित करने वाले कुछ असामाजिक तत्वों के बारे में आशंका व्यक्त की गई है।

2. आयोग ऐसे कदाचारों को रोकने के लिए रिटर्निंग अधिकारियों की हैंडबुक (2015 संस्करण) में यथा निहित तथा नीचे दिए गए अनुसार अपने विद्यमान अनुदेशों को एतद्वारा दुहराता हैः-

(i) सभी-मतदान केन्द्रों में स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने तथा स्ट्रांग रूम में मतपत्रों की सुरक्षा हेतु व्यापक प्रबन्ध किए जाने चाहिएं।

(ii) सभी/सभी संवेदनशील मतदान केन्द्रों को वीडियो कैमरा/वेबकास्टिंग द्वारा इस प्रकार कवर किया जाए कि मतपत्र बॉक्स तथा जिस मेज पर मतपत्र बाक्स रखा गया है उस मेज तक मतदाता जाता हुआ और वोटिंग कम्पार्टमेंट में मतपत्र को चिह्नित करने के उपरान्त स्पष्ट रुप से दिखाई दें (और वीडियो रिकार्ड रखा जाए)।

(iii) सभी/सभी संवेदनशील मतदान केन्द्रों में माइक्रो प्रेक्षकों की तैनाती की जाए।

(iv) स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए जोनल मजिस्ट्रेटों/सेक्टर मजिस्ट्रेटों को मतदान केन्द्रों का निरन्तर दौरा करना चाहिए।

3. इसके अतिरिक्त, यह सुनिश्चित करने के लिए कि मतपेटी में कोई भी जाली मत नहीं डाला गया है, यह सुनिश्चित किया जाए कि -

(i) प्रत्येक मतपत्र के पीछे पर्याप्त रूप से बड़ा विशिष्ट चिन्ह लगाया जाना चाहिए ताकि मतपत्र को मोड़ने के बाद भी यह दिखाई दिता रहे।

(ii) पीठासीन अधिकारी के पूरे हस्ताक्षर विशिष्ट चिन्ह के नीचे मतपत्र के पीछे के निचेल दाहिनी तरफ वाले भाग में एक समान रूप से किए जाएं ताकि ऐसे हस्ताक्षर भी दिखाई देते रहें।

(iii) मतपेटी के प्रभारी मतदान अधिकारी की ओर से यह सुनिश्चित करने के लिए सख्त निगरानी रखी जाती है कि मतदाता मतपत्र पेटी में केवल विशुद्ध मतपत्र ही डालें।

(iv) मतपेटी के प्रभारी मतदान अधिकारी निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 70 के साथ पठित नियम 39क (2)(घ) के अधीन यथा अपेक्षित पेटी में मतपत्र डाले जाने से पूर्व मतदाता को इसके पीछे विशिष्ट चिन्ह दिखाने को कहेगा।

(v) तथापि, यह सुनिश्चित किया जाए कि ऐसी प्रक्रिया में मतदाता से किसी भी प्रकार से उनके मतदान चिन्ह वाले मतपत्र का सामने वाला भाग दिखाने को नहीं कहा जाए तथा पूरी तरह से उनके मत की गोपनीयता बनाए रखी जाए।

4. आयोग ने निदेश दिया है कि सभी संबंधितों द्वारा उपर्युक्त अनुदेशों का सख्ती से अनुपालन किया जाएगा।

5. अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, मतदान के संचालन से संबंधित सभी मतदान एवं अन्य अधिकारियों को विस्तृत प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

6. इसके अतिरिक्त, विभिन्न मीडिया के माध्यम से आयोग के उपर्युक्त अनुदेशों के बारे में व्यापक प्रचार किया जाएगा।

7. उपर्युक्त अनुदेशों को आवश्यक कार्रवाई के लिए तत्काल प्रेक्षकों के संज्ञान में लाया जाए।

8. निगरानी के विभिन्न उपायों तथा व्यय अनुवीक्षण के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी मतदाता किसी भी रुप में प्रभावित नहीं हो सके।

9. सभी रिटर्निंग अधिकारियों को, इसका सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, तत्काल सूचित किया जाए।

भवदीय,

(के. अजय कुमार)
प्रधान सचिव